भारतरत्न डॉ० भीमराव रामजी आम्बेडकर
एक दलित चिंतक, राष्ट्रवादी और सामाजिक न्यायवादी के रूप में

Dr. Deepak kumar

Ph.D, Post Doctorate[2] (Political Science)
K. M. Govt. Girls (P.G.) College, Badalpur, Gautambudh Nagar
C.C.S. University, Meerut

सार-
डॉ भीमराव रामजी आम्बेडकर को एक महान व्यक्तित्व और नायक के रुप में माना जाता है साथ ही साथ वे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। डा0 आम्बेडकर बचपन से ही छुआछूत का शिकार रहें जिसके कारण उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो गयी और इन विपरीत परिस्थितियों मे भी डा0 आम्बेडकर ने स्वयं को उस समय के सबसे उच्च शिक्षित भारतीय बनने के लिए प्रेरित किया साथ ही भारत के संविधान को आकार देने के लिए भी डॉ भीमराव आम्बेडकर का योगदान बेहद सम्मानजनक है। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया। प्रस्तुत शोध मे भारतरत्न आम्बेडकर के दलित चिंतक, राष्ट्रवादी और सामाजिक न्यायवादी रूप का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द– भारतरत्न, दलित चिंतक, राष्ट्रवादी, सामाजिक न्यायवादी

भारतरत्न डॉ० भीमराव आम्बेडकर का स्थान भारतीय संविधान के महान शिल्पकार, दलितों एवं शोषितों के चिंतक, प्रख्यात अर्थशास्त्री, कुशल विधिवेत्ता, समाजशास्त्री और युग दृष्टा के रूप में अतुलनीय है इतने बहुमुखी व्यक्ति होने के साथ ही वह राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते है। दलितों को समाज में उनका सही स्थान दिलाने वाले डॉ० भीमराव आम्बेडकर ही है। प्राचीन काल से ही दलितों के साथ भेद–भाव की समस्या भारतीय समाज में विद्यमान रही है। दलित समस्या की जड़ें आमतौर से जाति व्यवस्था में पाई जाती हैं जाति–व्यवस्था से पहले वर्ण–व्यवस्था भारतीय समाज में विद्यमान थी। इसलिए अगर ये कहा जाए कि वर्ण व्यवस्था ने ही जाति प्रथा को जन्म दिया है तो यह कहना गलत न होगा।

ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति शिक्षा प्रदान करने के लिए हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए, वैश्य सम्पत्ति का उत्पादक तथा कर देने वाला है। शूद्र का जन्म तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए हुआ है। यह सिद्धान्त स्पष्ट करता है कि ऋग्वैदिक काल में ही आर्यों के समाज में वर्ण–व्यवस्था मौजूद थी। मध्यकाल तक आते–आते भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पूरी तरह अपने पाँव जमा चुकी थी। ये चार वर्ण चार जातियां बन गए थे और ये चार जातियाँ आगे चलकर चार हजार जातियाँ और उपजातियाँ बन गई।

11वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जाति–व्यवस्था और जटिल हो गई। प्रत्येक पेशेवर की एक अलग जाति बन गई थी, जो आगे कई उपशाखाओं में भी बँट चुकी थी। विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग धन्धों में लगे मनुष्यों ने अपने पेशों को ही जाति समझ लिया था। इस युग में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सर्वमान्य हो चुकी थी और राजा तथा प्रजा दोनों की दृष्टि मे सर्वोच्च आदर के पात्र बन चुके थे। हिन्दू समाज पर ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत अधिक हो गया था, पूजा–पाठ के अतिरिक्त ब्राह्मण अन्य कार्यों में भी लगे हुए थे। क्षत्रियों को भी समाज में काफी ऊँचा स्थान प्राप्त था। क्षत्रियों का धर्म राज्य की रक्षा करना एवं युद्ध करना था वैसे क्षत्रियों को समाज में ऊँचा स्थान मिलने का कारण यह भी था कि राजनीतिक सत्ता पर इन्हीं का प्रभुत्व था। क्षत्रिय भी अनेक उपजातियों में बँट चुके थे। वैश्यों ने कृषि कार्यों तथा अन्य उद्योगों की अपेक्षा वाणिज्य एवं व्यवसाय में अपनी रुचि दिखानी आरम्भ कर दी थी और शूद्रों में भी अनेक उपजातियों का निर्माण हो गया था।

15वी0 व 16वी0 शताब्दी में भक्ती आन्दोलन चला, भक्ती आन्दोलन का विकास दक्षिण भारत में हुआ। भक्ती आन्दोलन के सन्तों में चौतन्य महाप्रभु, रामानन्द, रैदास, कबीर, रामानुज, दादू आदि प्रमुख थे। मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन की ओर निम्न जाति के लोग बड़ी संख्या में आकृष्ट हुए थे। भक्ती आन्दोलन से कुछ समय के लिए उनकी स्थितियों में अन्तर भी आया, परन्तु बाद में रूढ़िवाद या जातिभेद पुनः हावी हो गया। 18वी0 शताब्दी तक भारतीय समाज में जाति–व्यवस्था पुनः जटिल हो गई थी। समाज में निम्न जातियों की दशा तो अत्यधिक शोचनीय थी, इन जातियों को अस्पृश्य वर्ग में डाल दिया गया था और उन पर अनेक प्रकार की अयोग्यताएँ थोप दी गई थी।

19वी0 शताब्दी के महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था एवं जाति–व्यवस्था के बारे में कहा था कि– *"अगर ऊंची जातियों ने दलितों या निम्न जातियों को उनके वैध मानव अधिकार नहीं दिए तो इस देश में सदियों से दबाया गया शूद्र समुदाय एक दिन निश्चित रूप से उठेगा और अपनी एक फूंक से ऊंची जातियों को पूरी तरह उड़ा देगा।"* और 20वी0 शताब्दी में महान दलित नेता डॉ० भीमराव आम्बेडकर ने इस बात को सच साबित कर दिया।

डा0 आम्बेडकर और दलित चिंतन

डॉ० आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 ई० को मध्यप्रदेश स्थित महू की छावनी में अछूत समझी जाने वाली महार जाति में हुआ। महार जाति महाराष्ट्र में अस्पृश्य दलित वर्ग से सम्बन्धित थी। अछूत होने के कारण भीमराव को बचपन से ही अनेक कष्टों को सहन करना पड़ा, कोई नाई उनके बाल नहीं काटता था इसलिए उनकी बहन ही उनके बाल काटा करती थी, स्कूल मे भी भीमराव को सवर्ण हिन्दुओं के बच्चों से अलग बिठाया जाता था, वह पानी के नल को हाथ भी नहीं लगा सकते थे, प्यास लगने पर पानी पीने के लिए उन्हें उच्च जाति के लड़कों का इन्तजार करना पड़ता था, ताकि वे आकर नल को खोलें और वह पानी पी सकें।

अध्यापकों का व्यवहार भी उनके प्रति अच्छा नहीं था अध्यापक उनकी कापियाँ नहीं छुते थे परन्तु कुछ अध्यापक ऐसे भी थे जो भीमराव को स्नेह करते थे। भीमराव की बचपन से ही इच्छा थी कि वह अपना आर्थिक भार स्वयं सम्भाले, इसलिए सतारा में रहते समय एक बार उन्होंने स्टेशन पर जाकर कुली का काम भी किया था। 1904 ई० में उनके पिता रामजीराव सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मुम्बई आ गए, यहाँ भीमराव ने बम्बई के एलफिंस्टन हाईस्कूल में दाखिला ले लिया। 1907 में भीमराव मैट्रिक परीक्षा में पास हुए। उस समय एक अछूत लड़के का मैट्रिक पास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। भीमराव ने जब इन्टर की परीक्षा पास की तो उनके पिता बहुत खुश हुए पर साथ ही चिन्तित भी हुए क्योंकि उनके आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि भीमराव की पढ़ाई जारी रख सकें। भीमराव आम्बेडकर ने बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे की उच्च शिक्षा बेहद कठिनाईयों का सामना करते हुए पूरी की।

भारत सचिव श्री मांटेग्यू भारत की स्थानीय परिस्थितियों को समझने के लिए 1917 ई० में भारत आए। मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार योजना के आधार पर लार्ड साउथबरों की अध्यक्षता में मताधिकार कमेटी ने अपना कार्य भारत में शुरू किया। मुम्बई सरकार ने साउथबरों कमेटी के सामने अछूत समुदाय का दृष्टिकोण पेश करने के लिए कर्मवीर शिंदे और डॉ० आम्बेडकर को नियुक्त किया। डॉ० आम्बेडकर ने कमेटी के सामने अछूतों के लिए संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को मांग की और कहा कि मताधिकार के लिए जो योग्यता चाहिए, उसे सरकार अछूतों की गरीबी व अशिक्षा देखकर निश्चित करें।

1919 ई० में डॉ० आम्बेडकर कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज के सम्पर्क में आए, जो अपने राज्य में अछूतों के उद्वार के लिए कार्य कर रहे थे। डॉ० आम्बेडकर ने साहू महाराज की सहायता से अछूतों का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए 31 जनवरी, 1920 को 'मूकनायक' नाम मराठी पाक्षिकपत्र प्रारम्भ किया। 'मूकनायक' के सम्पादक महार जाति के श्री पांडुरंग नन्दराज भटकर थे। पत्रिका के प्रथम तेरह अंकों में डॉ० आम्बेडकर ने ही अग्रलेख लिखे थे, इसमें डॉ० आम्बेडकर ने हिन्दू समाज की बुराईयों पर कड़ा प्रहार किया। 'मूकनायक' के लेखों में उच्च वर्ग तथा ब्राह्मणवाद पर सीधे चोट की। मूकनायक के प्रथम अंक के सम्पादकीय आलेख में उन्होंने लिखा था– *"भारत में सभी क्षेत्रों में विषमता व्याप्त है। शिक्षा के बिना ब्राह्मणेत्तर और दलित समाज प्रगति कर नहीं सकता। दरिद्रता, दुर्बलता व अज्ञान के कारण दलित वर्ग का शोषण हुआ है।"* डॉ० आम्बेडकर को वर्ण व्यवस्था के कटु अनुभवों को झेलना पडा था, अतः अछूतोद्धार उनका प्रमुख मिशन बन गया था। मूकनायक में अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने हिन्दू धर्म की बुराईयों को प्रकाशित किया। डॉ० आम्बेडकर को दृढ़ विश्वास था कि जब तक अछूतों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा शिक्षा समस्त उत्थान का मूल मंत्र है। डॉ० आम्बेडकर ने विद्या को अपना उपास्य देवता माना था। उनका मन्तव्य था कि भारत की उन्नति का आधार जन–साधारण में शिक्षा का प्रसार हो सकता है। अतः कुछ ही लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं होनी चाहिये, अपितु दलितों को भी शिक्षा का सुअवसर प्राप्त होना चाहिये। जब मिलिंद महाविद्यालय का शिलान्यास हुआ। उसके स्वागत समारोह मे भाषण देते हुए डॉ० अम्बेडकर ने कहा– *"हिन्दू समाज के निम्न तबके में से आने के कारण शिक्षा के महत्व को मैं भली–भाँति जानता हूँ। निम्न एवं दलित समाज की उन्नति करने का प्रश्न केवल आर्थिक माना जाता है। पर यह गलत धारणा है। दलित समाज को रोटी, कपडा और मकान देकर परम्परानुसार उन्हें उच्चवर्ग की सेवा करने में लगाना सच्ची उन्नति नहीं, निम्न वर्ग की प्रगति इससे रूक जाती है। उन्हें दूसरों का गुलाम बनना पडता है स्वयं और राष्ट्र की दृष्टि से किस प्रकार दलितों का महत्व है, इसका एहसास करा देना यही निम्न वर्ग का प्रश्न है। उच्च शिक्षा के प्रसार के बिना यह सब होने वाला नहीं है। हमारी सभी सामाजिक बीमारियों का मेरी दृष्टि में यही एक रामबाण उपाय है।"*

डॉ० आम्बेडकर की मान्यता यह थी कि अछूत समस्या जाति व्यवस्था की ही एक उपज है जब तक तरह–तरह की जातियाँ हैं तब तक अछूत वर्ग का उत्थान किसी भी हालत में सम्भव नहीं है। उन्होंने अछूत समाज की प्रगति में बाधक

बनने वाले प्रत्येक तत्व का चाहे वह कोई व्यक्ति हो या संस्था सदैव तीव्र विरोध किया। वास्तव में डॉ० आम्बेडकर के जीवन का लक्ष्य दलित समाज की सेवा बन गया था। वह यह अच्छी तरह जानते थे कि अस्पृश्यता निवारण तथा अन्तर्जातीयता से दलितों के दुःखों का अन्त सम्भव नहीं ही सकता। वह चाहते थे कि उनके दुःखों का निवारण करने के लिए सभी विभागों जैसे अदालतों, सेना, पुलिस, व्यापार तथा शिक्षा के द्वार खुले रहने चाहिए।

डा0 आम्बेडकर ने अपने जीवन काल में जो यातनाएँ सहीं, वे एक–एक करके उनके सामने आने लगी उनका मन रो पडा वे सोचने लगे हम इन्सान हैं। हम तालाब से पानी नहीं पी सकते, हिन्दू कपडे धो सकते हैं, मल धो सकते हैं, तालाब में कुत्ते–बिल्ली, पशु–पक्षी पानी पी सकते हैं। परन्तु हम नहीं। इस हिन्दू व्यवस्था की बिडम्बना ने उनके दिल और दिमाग को पूर्ण रूप से झकझोर दिया। उनका दिल उस समय और भी अधिक क्षुब्ध हो गया जब दलितों के द्वारा बनाये गये मंदिर और भगवान के दर्शन के लिए उन्हें संघर्ष का सामना करना पडा। 21 मार्च, 1920 को कोल्हापुर रियासत में माणगाँव में डॉ० आम्बेडकर की अध्यक्षता में अछूतों की एक परिषद हुई। छत्रपति साहू महाराज ने परिषद में भाषण देते हुए कहा– भाइयों, आज आपको डॉ० आम्बेडकर के रूप में अपना एक रक्षक नेता मिला है, जो आपकी अछूतपन की बेड़ियाँ तोड़ देंगे। डॉ० आम्बेडकर ने अछूतों से कहा कि *अछूत समाज की प्रगति में बाधक बनने वाले सभी संस्थाओं का हमें निषेध करना चाहिए।* डॉ० आम्बेडकर ने 29 जुलाई, 1927 को बहिष्कृत भारत में लिखा था कि *"यदि लोकमान्य तिलक अछूतों में पैदा होते तो वह स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आवाज बुलन्द न करते, बल्कि उनका नारा होता–अछूतपन का खात्मा करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।"*

डॉ० आम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य अस्पृश्य समाज की स्थिति में सुधार करना था इसके लिए उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए, जिस कारण दलित समाज में उनकी पहचान बनने लगी। लोग उन्हें एक विद्वान व जुझारु महार नेता के रूप में जानने लगे। कोलाबा जिले के प्रमुख अछूतों के प्रयत्न से महाड़ में 19 व 20 मार्च, 1924 ई० को डॉ० आम्बेडकर की अध्यक्षता में दलित वर्ग परिषद की एक बैठक हुई दूसरे दिन यानी 21 मार्च को परिषद ने चावदार तालाब पर अछूतों के अधिकार की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। डॉ० आम्बेडकर के नेतृत्व में लगभग 5000 अछूतों का जुलूस तालाब की ओर चल दिया और डॉ० आम्बेडकर और लोगों ने तालाब के किनारे बैठकर पानी पीया। आम्बेडकर के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण तथा क्रान्तिकारी घटना थी। महाद् में 5000 अछूतों को सम्बोधित करते हुए डॉ० आम्बेडकर ने कहा कि *"ज्ञान अर्जित करने तथा सम्मान से जीने की शपथ लें तथा मुर्दा जानवरों का माँस खाना छोड़ दें।"* मुम्बई हाईकोर्ट ने 17 मार्च, 1937 को सन् 1927 को डॉ० आम्बेडकर को मुम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया था। मुम्बई विधान परिषद का पहला अधिवेशन 18 फरवरी, 1927 को प्रारम्भ हुआ। डॉ० आम्बेडकर ने परिषद में बेगार–प्रथा के विरुद्ध बिल पेश किया। पहला भाषण 24 फरवरी, 1927 को बजट पर दिया। 3 अगस्त, 1928 को डॉ० आम्बेडकर ने विधान डॉ० आम्बेडकर 3 मार्च, 1930 में नासिक में कालाराम मन्दिर प्रवेश आन्दोलन चलाया था इस आन्दोलन का उद्देश्य दलितों के लिए हिन्दू मन्दिरों के दरवाजे खुलवाना था यह आन्दोलन पाँच वर्ष तक चला। मन्दिर में अछूतों को प्रवेश न मिलने के कारण डॉ० आम्बेडकर काफी निराश हो गए थे। 13 अक्टूबर, 1935 को डॉ० आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुए कहा–*"मैं दुर्भाग्य से हिन्दू धर्म में पैदा हुआ, जो मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूँगा।"* इसके बाद डॉ० आम्बेडकर ने अपना ध्यान धर्म सुधार की बजाय दलितों के राजनैतिक सशक्तिकरण व पृथक अधिकारों के मुद्दे पर अधिक केन्द्रित कर लिया।

डॉ० आम्बेडकर ने 12 नवम्बर, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित समुदाय के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठाई। 20 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई जिसमें दलित समुदाय को अलग निर्वाचन मण्डलों बनाने का अधिकार मिला और साथ ही आम निर्वाचन मण्डलों में भी मत देने और उम्मीदवारी करने का अधिकार भी दलित वर्ग का दिया गया।

24 सितम्बर, 1932 को साँय चार बजे यरवदा जेल में डॉ० आम्बेडकर और गाँधी जी के बीच समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसमें अछूतों को सम्पूर्ण भारत में संयुक्त निर्वाचन पद्धति के साथ 148 सीटें दी गई, जबकि साम्प्रदायिक निर्णय के अनुसार पृथक निर्वाचन के साथ अछूतों को केवल 78 सीटें दी गई थीं। डॉ० आम्बेडकर ने दलित वर्ग को राजनैतिक शक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए 1936 में एक राजनैतिक दल 'आजाद मजदूर पार्टी' का गठन किया। 1937 में चुनाव में डॉ० आम्बेडकर की आजाद मजदूर पार्टी ने मुम्बई में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 15 सीटों पर जीत हासिल हुई। स्वयं डॉ० आम्बेडकर सभी पार्टियों के विरोध के बावजूद भारी मतों से विजयी हुए।

डॉ० आम्बेडकर ने सन् 1942 में 'शैड्यूल्ड कॉस्टस फैडरेशन' की स्थापना की और उन्होंने अछूतों को नसीहत देते हुए कहा–शैड्यूल्ड कॉस्ट्स फैडरेशन तुम्हारा अपना घर है। इसको मजबूत बनाओ बाद में इसका नाम बदलकर 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया' कर दिया। वायसराय लार्ड लिनलिथगों ने जुलाई 1942 को डॉ० आम्बेडकर को अपनी कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किया और उनको श्रम विभाग सौंपा गया। वे 1942 से 1946 तक श्रम मंत्री रहे श्रम मंत्री रहते हुए इन्होंने सरकारी नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू कराया था और श्रमिकों के लिए कानून

बनाए तथा अछूत समुदाय के लिए अनेक सुधार किए। 3 अगस्त, 1947 को डॉ० आम्बेडकर को स्वतन्त्र भारत के नए मन्त्रिमण्डल में विधि–मंत्री नियुक्त किया गया।

22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया यह तीन रंगों का ध्वज था, जिसके बीच में अशोक चक्र अंकित था। डॉ० आम्बेडकर संविधान सभा की ध्वज समिति के सदस्य थे और डॉ० आम्बेडकर की सलाह पर ही अशोक चक्र चुना गया था। 21 अगस्त, 1947 संविधान की प्रारूप समिति का निर्माण किया और 29 अगस्त, 1947 को डॉ० आम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। 29 नवम्बर 1948 को संविधान की धारा 17 जिसमें छूआछूत को अपराध करार दिया था, स्वीकार की गई। 25 नवम्बर, 1949 को संविधान का अन्तिम प्रारूप तैयार किया। उन्होंने 8 अनुसूचियाँ और 395 धाराओं वाला संविधान तैयार किया था और मन्दिर प्रवेश का हक अछूतों को कानून द्वारा दे दिया गया, जिसके लिए पन्द्रह वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। आम्बेडकर ने दलित समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि *"आप अधिक से अधिक संघर्ष और त्याग करो, यही मेरा सन्देश है, कठिनाईयों और बलिदान की चिन्ता मत करो, संघर्ष ही आपका उद्धार कर सकता है और आपके उद्धार का इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।"*

डा0 आम्बेडकर और राष्ट्रवाद

आम्बेडकर एक राष्ट्रवादी चिन्तक थे। आम्बेडकर को ब्रिटिश शासन प्रणाली का समर्थक, और एक दलित चिन्तक कहकर चाहे उनकी कितनी भी आलोचना की जाए लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति पर तनिक भी सन्देह नहीं किया जा सकता। आम्बेडकर की मान्यता थी कि भारत में ब्रिटिश शासन एक वरदान सिद्ध हुआ है। प्रमुख उदारवादी नेता फिरोजशाह मेहता, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविन्द रानाडे आदि भी ब्रिटिश शासन को वरदान मानते थे। आम्बेडकर ने कहा कि ब्रिटिश शासन के कारण ही भारतीय समाज और समुदाय सामाजिक और आर्थिक ढांचे की रूढ़िवादी जंजीरों से मुक्त हुआ है। आम्बेडकर की आशा थी कि ब्रिटिश सत्ता के प्रभाव के कारण ही दलितों को स्वर्ण हिन्दुओं के अत्याचारों और शोषण से मुक्ति मिलगी लेकिन आम्बेडकर हताश ही हुए क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी दलितो के उत्थान के लिए प्रभावी प्रयास नहीं कर सकी।

आम्बेडकर ने कहा कि दलितो को जब तक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सक्रिय सह भागिता प्राप्त नहीं होगी और अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक भारत वास्तविक रूप से स्वतन्त्र नहीं होगा। आम्बेडकर भारत में राजनीतिक स्वतन्त्रता ही नहीं सामाजिक स्वतन्त्रता के भी पक्षधर थे। आम्बेडकर ने कहा कि *"हमें राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं चाहिए क्योंकि राजनीतिक स्वतन्त्रता का परिणाम यह होगा कि दलित समुदाय लम्बे समय तक हिन्दू समाज की अन्यायपूर्ण कुरीतियों और उनके शोषण का शिकार होता रहेगा, सम्पूर्ण दलित समाज ब्राह्मणवाद के शिकंजे में जकड़ा रहेगा।"* आम्बेडकर ने राष्ट्रवादी होते हुए ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना की। आम्बेडकर ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन के अनेकों कुप्रभाव पड़े हैं। आम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार को विश्व की सबसे महंगी सरकार कहकर उसकी आलोचना की है। आम्बेडकर एक शुद्ध राष्ट्रवादी विचारक थे और वे चाहते थे कि भारत एक स्वतन्त्रता और सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र बना रहे।

आम्बेडकर की राष्ट्रवादी सोच बहुत व्यापक थी। वे केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता तक ही सीमित न होकर व्यापक रूप से सामुदायिक स्वतन्त्रता की बात करते थे। आम्बेडकर ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जहाँ सभी जाति–समाज ओर समुदाय के लोग जाति–वंश धर्म और पदस्थिति की दृष्टि से समान होंगे। सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतन्त्रता, समानता और गरिमा मिलनी चाहिए। आम्बेडकर का राष्ट्र अखण्ड और न्यायप्रिय होगा और आम्बेडकर एक उदारवादी राष्ट्रवाद की स्थापना के पक्षधर थे।

राष्ट्र विभाजन पर आम्बेडकर ने कहा था कि हमारे समक्ष भारतीय राजनीति की समस्या का अन्य कोई विकल्प नहीं है हमें पाकिस्तान निर्माण के तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आम्बेडकर हिन्दू और मुस्लिम दोनों की ही समस्या का समाधान करना चाहते थे परन्तु वे भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि भारत का विभाजन नहीं, अपितु मुस्लिम लीग का अन्त करके हिन्दुओं और मुसलमानों के एक संयुक्त दल का निर्माण करके हिन्दूराज की कल्पना को समाप्त किया जा सकता है। डा0 आम्बेडकर का प्रस्ताव था कि पाकिस्तान के सभी हिन्दू भारत में और भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान में स्थानान्तरित कर दिया जाए जिससे अशान्ति, हिंसक घटनाएँ नहीं होगी परन्तु आम्बेडकर का यह यर्थाथवादी विचार काम नहीं आ सका।

आम्बेडकर ने 1946 में कहा था कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहता हूँ कि *"जिस मुस्लिम लीग ने देश विभाजन के लिए यह आन्दोलन किया है, कुछ दिन बाद जब उनमें जागरूकता पैदा होगी, वह यह सोचना प्रारम्भ कर देगी कि प्रत्येक पाकिस्तानी के लिए संगठित भारत ही अच्छा था।"*

आम्बेडकर एक प्रबल राष्ट्रवादी विचारक थे। वे देशी रियासतों के माध्यम से भारत का सशक्त एकीकरण चाहते थे। 1974 में आम्बेडकर ने देशी रियासतों को परामर्श देते हुए कहा था कि सभी रियासतों को अपनी प्रभुसत्ता भारतीय संघ

में मिला देनी चाहिए। उनका स्वतन्त्र रहकर संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता और सुरक्षा का अधिकार लेने का विचार केवल कल्पना लोक में रहने के समान है।

आम्बेडकर के राष्ट्रवाद पर डॉ. वी. पी. वर्मा ने लिखा है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे राष्ट्रभक्त थे, और राष्ट्रीय एकीकरण के विरोधी नहीं थे। कोई भी उनके इस विचार का विरोध नहीं कर सकता कि अस्पृश्यों के लिए हिन्दुओं द्वारा उन पर लादी गई घोर अपमानजनक स्थितियों का विरोध और उनसे मुक्ति ब्रिटिश शासन से राष्ट्र की राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की तुलना में अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य था। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि आम्बेडकर एक राष्ट्रवादी विचारक थे और वे सम्पूर्ण भारतीय लोगों को चाहे किसी भी जाति–वर्ग धर्म के हों उनका सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान चाहते थे।

डॉ० आम्बेडकर और सामाजिक न्याय दर्शन

बाबा साहब डॉ० भीमराव आम्बेडकर जिन्हें दलितों तथा अछूतों के मसीहा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित तथा अछूतों को समाज में सामाजिक न्याय दिलाने के लिये लगा दिया। उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह समाज की इस असफलता को दूर करके अछूतों तथा दलितों को सामाजिक न्याय दिलायेंगे। वह इस वर्ग को मनुष्य होने के सभी अधिकार दिलायेंगे चाहे इसके लिये उनको अपने जीवन का बलिदान भी क्यों न देना पडे। डॉ० अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा एक ऐसी सामाजिक पद्धति के पक्ष में है जो जीवन के प्रति एक क्षेत्र में मनुष्यों के मनुष्य से सम्बन्धों पर आधारित हो क्योंकि दलितों पर अन्याय की निरन्तरता का कारण हिन्दू धर्म रहा है चूँकि डॉ० अम्बेडकर दलित वर्ग से सम्बन्धित थे अतः इसे अच्छी प्रकार समझ सकते थे उनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा धर्म तथा नैतिकता से सम्बद्ध अवधारणा से निकटतः सम्बद्ध थी।

आम्बेडकर का पूरा व्यक्तित्व, जीवन, आचरण, कार्य विचार दोषपूर्ण सामाजिक विसंगतियों का उन्मूलन करने की दिशा में एक सतत् और सफल संघर्ष का इतिहास है, डॉ0 आम्बेडकर के चिन्तन का दायरा बहुत व्यापक है। मानवीय समाज के विविध पहलुओं पर व्यापकता, समग्रता, अगाध गहराई और औचित्य उनके चिन्तन की विशेषताऐं है।

डॉ० आम्बेडकर ने हिन्दू धर्म में पैदा होने के बावजूद कभी हिन्दू के रूप में अपने को सन्तुष्ट नहीं पाया। ईसाई धर्म उन्हें आकर्षित न कर सका क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म को नजदीक से देखा–परखा था। इस धर्म के प्रति थोड़ी सी नरमी जरूर थी लेकिन यहाँ भी ऊँच–नीच और सामन्ती सोच उन्हें अपनी ओर न खींच सकी। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्थावान सोच जरूर थी क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी जाति पर आधारित समाज के समानान्तर एक जातिविहीन समाज की संकल्पना दी थी। डॉ० आम्बेडकर ने अन्य धर्मों से अच्छा बौद्ध धर्म को बताया क्योंकि इसमें व्यक्ति को वर्ग या जाति में विभाजित नहीं किया गया था।

एक समतामूलक समाज की स्थापना के बिना अछूत उद्धार का आम्बेडकर का मिशन अधूरा रह जाता और ऐसे समाज की स्थापना के लिए आम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी तथा गाँधी के निजी जीवन एवं व्यक्तित्व से काफी उम्मीद थी, इसी नाते वे गाँधी और कांग्रेस दोनों के निकट आ गये परन्तु यह नजदीकी भी बहुत दिनों तक कायम न रह सकी। सहमति, असहमति, मतभेद और किसी हद तक टकराव की मनःस्थितियों के बीच मौन समझौते की प्रवृत्ति भी आम्बेडकर के व्यक्तित्व व विचारों में देखी जा सकती है खास तौर पर हरिजन उद्धार के गाँधीवादी दर्शन की समीक्षा के मुद्दों पर। गाँधी जनभावनाओं को नैतिकता और करुणा जैसी मानवीय संवेदनाओं को जागृत करके छुआछूत का उन्मूलन तथा हरिजन उद्धार करने में विश्वास रखते थे, इसके लिए लम्बे समय की दरकार थी और आम्बेडकर इस पर लम्बा समय न देकर कानूनी राजनीतिक अनुशक्ति के माध्यम से अछूत उद्धार में विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि शासन के सभी अंगों और निकायों में निष्ठापूर्ण शूद्रों को आरक्षण दिये बिना अछूतों का उद्धार केवल कल्पना या सिद्धान्त के रूप में ही रह जायेगा। डॉ० आम्बेडकर न्यायपालिका समेत शासन के विभिन्न अंगों और सार्वजनिक एवं अन्य निकायों और उपक्रमों में आरक्षण के प्रबल समर्थक थे क्योंकि उनका विश्वास था कि लगातार सदियों से अकारण वंश और जन्म को आधार मानकर वंचित किये गये लोगों को समानता बिना आरक्षण के उपलब्ध नहीं कराई जा सकती तथा जब तक समाज में समानता नहीं आयेगी तब तक सामाजिक न्याय कैसे सम्भव होगा। साथ ही साथ सामाजिक सुधार और शूद्रों का उद्धार भी अर्थहीन होगा। अतः उन्होंने शिक्षित, संगठित और संघर्षशील होने का नारा दिया। डॉ० आम्बेडकर ने दलितों के वास्तविक उत्थान के लिए कार्य किया।

मानव अधिकार की धारणा वास्तव में मानवीय सभ्यता एवं समानता के आधार से जुड़ी है। हम मानवाधिकार का संक्षेप में वर्णन करना चाहें तो उसे दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–प्रथम जीवित रहने का अधिकार, दूसरा गरिमा के साथ जीवन यापन करने का अधिकार। प्रथम श्रेणी के मानवाधिकारों के विचारों पर अनेक महापुरुषों एवं विचारकों ने व्यापक विचार प्रस्तुत किये हैं किन्तु दूसरी श्रेणी के मानवाधिकार विचारों को प्रतिपादित एवं प्रतिस्थापित करने का श्रेय डॉ० आम्बेडकर को जाता है उनके अनुसार मानवाधिकार प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते बिना किसी भेदभाव के तथा बिना किसी योग्यता के मिलने चाहिए। इसी में सच्चे न्याय की प्राप्ति हो सकती है वैसे पुर्नजागरण काल से लेकर स्वतन्त्रता आन्दोलन तक अनेक समाज सुधारक एवं राष्ट्रीय नेताओं ने सामाजिक न्याय को दिलवाने का

पूर्ण प्रयास किया है इन समाज सुधारकों में राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, महात्मा गाँधी आदि विद्वानों ने सामाजिक समानता लाने के लिए प्रयास किये परन्तु इन विद्वानों को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। डॉ० भीमराव आम्बेडकर इन सब विद्वानों से सामाजिक न्याय की दिशा में आगे निकल जाते हैं। डॉ० आम्बेडकर ने सोचा कि समाज में सुधार केवल संघर्ष एवं जनआन्दोलनों से ही संभव नहीं है बल्कि इसे राजसत्ता का प्रश्रय भी मिलना चाहिए। जब डॉ० आम्बेडकर को संविधान निर्माण का सुअवसर मिला तो उन्होंने समाज में सामाजिक न्याय लाने का यह सबसे अच्छा अवसर माना। सामाजिक समरूपता लाने के लिए उन्होंने यह प्रयास किया। हमारे संविधान में 'डिक्लेअरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स' (मानव अधिकारों की घोषणा) में दिये गये अधिकांश अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इसमें अस्पृश्यता की समाप्ति अति महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह सामाजिक समानता लाने के लिए अति आवश्यक थी क्योंकि अस्पृश्यता का दंश भारतीय समाज प्राचीनकाल से ही झेलता आ रहा था तथा समाज में दूरी बढ़ाने का यह सबसे बड़ा कारण था। डॉ0 आम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए संविधान में यह सबसे बड़ा काम किया। संविधान में नीति–निर्देशक तत्वों में भी इसकी पुष्टि होती है इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि डॉ0 आम्बेडकर द्वारा ही मौलिक अधिकारों की रचना गयी है। वह वास्तव में मनुष्यों को सामाजिक न्याय दिलाने के सबसे बड़े विद्वान थे। उनके द्वारा बताये गये, बनाये गये विचार सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ0 आम्बेडकर ने कहा–*"भारत के संविधान को केवल एक विधिक दस्तावेजों के रूप में परिकल्पित नहीं किया जाना चाहिए वरन् उसका सामाजिक क्रान्ति एवं जनकल्याण तथा राष्ट्रीय उत्थान के ध्येय से भी पूरा अनुनयन होना चाहिए।"*

डॉ0 आम्बेडकर दलितों के लिए जंजीर बनी वर्ण व्यवस्था के समूल विनाश के पक्ष में थे क्योंकि जब तक यह व्यवस्था समाज में रहेगी तब तक सामाजिक न्याय को प्राप्त करना स्वप्न देखने के बराबर होगा इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इस वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार करते हुए छुआछूत उन्मूलन का प्रावधान किया जो डॉ0 आम्बेडकर के सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता को सदियों तक बनाये रखेगा। गाँधी जी ने एक बार कहा था कि सामाजिक समानता वर्ण व्यवस्था रहते हुए भी आ सकती है, जिसका डॉ0 आम्बेडकर ने कड़े शब्दों में विरोध किया तथा सदैव वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया।

डॉ0 आम्बेडकर का कहना था कि सामाजिक समानता की प्राप्ति लोकतन्त्र में ही सम्भव है क्योंकि इसमें सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं तथा सबको आगे बढ़ने का एक समान अवसर मिलता है। अतः सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतन्त्र व्यवस्था सबसे अच्छा वातावरण देती है। यह विचार डॉ० आम्बेडकर के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालता है।

डॉ० आम्बेडकर उच्च कोटि के विद्वान थे। उनका जीवन महान था। वे दलितों के हिमायती, शोषितों के मसीहा, गरीबों के शुभचिन्तक व संविधान के निर्माता थे। उन्होंने सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। दलित वर्गों व राष्ट्र से सम्बन्धित उनकी सेवाएँ ऐतिहासिक महत्व की थी।

अगाध ज्ञान के भण्डार घोर अध्यवसायी, अद्भुत प्रतिभाशाली, असहनीय निष्ठा, न्यायशीलता व स्पष्टवादिता के धनी डॉ० अम्बेडकर ने अपने आपको दलितों के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्हें महार जाति में जन्म लेने के बाद अपने जीवन में जो अपमान व यातना की स्थितियों का सामना करना पडा उससे वह बहुत हताश थे।

वह सच्चे अर्थों में आधुनिक मनु व क्रान्तिकारी थे। उनका मानना था कि स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्व यह तीनों तत्व अपने जीवन के आधार हैं। वह कहते थे संविधान में राजनीति के तत्व शामिल हों या न हो, लेकिन सामाजिक जीवन में इनका समावेश होना निहायत जरूरी है। बाबा साहब ने दलितों को आरम्भ से अन्त तक जगने, उठने एवं संगठित होने की निरन्तर चेतावनी दी और निरन्तर कहा कि जब तक वे अधिकारों के लिए संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तब तक उनको मानव अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अछूतों के प्रति दृष्टिकोण सभी लोगों को भाव विभोर कर देता था। डॉ० अम्बेडकर ने अछूत समाज की सैकडों गुत्थियाँ सुलझाने और उन्हें व्यवस्थित कर देने में अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने डॉ० आम्बेडकर के लिये सत्य ही कहा था– डॉ० आम्बेडकर की विद्वता अपने विश्वासों से अटल निष्ठा आदि गुणों के लिए उन्हें सदा याद किया जायेगा। वे युगों से भारत के पीड़ित दलित वर्ग की तीव्र भावना के प्रतीक थे। परन्तु उन्हें समस्त मानवता का मसीहा और भारत के चहुंमुखी विकास का स्वप्नदृष्टा कहना ही अधिक उचित प्रतीत होता है। वस्तुतः इस महान विभूति के दलित समाज के विकासोन्मुखी कार्यों को शब्दों में बाँधने का प्रयल करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही उपहासपूर्ण कार्य है। दलितों के उद्धार में बाबा साहब के योगदान का आवरण इतना अधिक विस्तृत और विशाल है कि शब्द अपर्याप्त और बौने से प्रतीत होते हैं। इस पुण्य कार्य के लिये तो सब कुछ वे ही थे। डॉ० अम्बेडकर अपने आप में प्रक्रिया के परम प्रारूप की सम्पूर्ण पद्धति थे। वे समाज के पाखण्ड के पलायन की प्रखर प्रस्तुति और प्रगति के प्रवेश के प्रवीण प्रणेता थे। डॉ० अम्बेडकर दलितों के संघर्ष और समाज के संवेदन बिन्दु थे। वह अछूतों के मसीहा थे। मानव कल्याण और मानव अधिकार उनका उद्देश्य था। दलित दुःख निवृत्ति का आह्वान करते हुये डॉ० अम्बेडकर ने कहा *"धन्य हैं वे पुरूष जो उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के कर्त्तव्य के प्रति सचेत हैं जिनमें वे पैदा हुए। सौभाग्यशाली है वह पुरूष जो अपने दिनों एवं रातों को दासता के प्रति*

विद्रोह के आन्दोलन की प्रगति में न्यौछावर करते हैं। धन्य हैं वे लोग जो यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उस समय तक दम नहीं लेंगे जब तक अछूत मानवता को प्राप्त नहीं कर लें, भले ही मार्ग में अच्छाई, बुराई, धूप, तूफान, सम्मान, अनादर आदि आयें।"

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1- मूक नायक, 21 जनवरी, 1920
2- बी० एल० मेहरदा, डॉ० बी० आर० अम्बेडकर, जीवन तथा दर्शन" ,रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1992,
3- राजेन्द्र मोहन भटनागर, "डॉ० अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व" , चिन्मय प्रकाशन, नई दिल्ली– 1994
4- बिन्दु, अरविन्द कुमार और ताराचन्द, "डॉ० अम्बेडकर एक क्रान्तिकारी व्यक्तित्व", अम्बेडकर पुस्तकालय, जलालपुर–1994
5- डॉ० बेचौन शेयोराज सिंह, "हिन्दी को दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव" समता प्रकाशन, दिल्ली– 1997
6- डबल्यू० एन० कुबेर, "आधुनिक भारत के निर्माता डॉ० अम्बेडकर", सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1994
7- एम० आर० विद्रोही, "दलित दस्तावेज" 1989
8- डॉ० हरदान, "डॉ० बी० आर० अम्बेडकर जीवन तथा दर्शन", पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1993,
9- राजेन्द्र मोहन भटनागर, "डॉ० अम्बेडकर व्यक्तित्व तथा कवित्व", चिन्मय प्रकाशन, नई दिल्ली– 1994
10- बाबा साहेब अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं विचार, सुरूचि प्रकाशन, दिल्ली– 1994,
11- मून, वसन्त, डॉ० बाबा साहेब आम्बेडकर नई दिल्ली–1991.
12- कुबेर, डब्ल्यू० एन०, 'आम्बेडकर ए क्रिटिकल स्टडी', नई दिल्ली–1991
13- विद्यांलकार, सत्यकेतु, भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, नई दिल्ली– 1995
14- कीर, धनंजय, डॉ० आम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, पॉप्यूलर प्रकाशन, बम्बई, तृतीय संस्करण, 1962,
15- भटनागर, राजेन्द्र मोहन, आम्बेडकर जीवन और दर्शन, दिल्ली–1982
16- कीर्ति, विमल, एल०जी० मेश्राम, ज्योतिबा फुले रचनावली, राधाकृष्ण पेपर बैक्स, नई दिल्ली, 1946,
17- लाल, एच०, मानवाधिकारों के संरक्षक हमारे महापुरुष दिल्ली– 1998
18- डींकर, डी०सी०, डॉ० आम्बेडकर स्मृति ग्रन्थ, नई दिल्ली– 1996
19- सहारे, एम०एस०, डॉ० भीमराव आम्बेडकर हिज लाईफ एण्ड वर्क, नई दिल्ली, 1987
20- लोखाण्डे, जे०एम०, भीमराव रामजी आम्बेडकर ए स्टडी इन सोशल डेमोक्रेसी–1982
21- आम्बेडकर, बी0आर0, ऐनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थैकर एण्ड कम्पनी, बॉम्बे, 1937
22- गाबा, ओ0पी0, "राजनीतिक चिन्तन की रूपरेखा, मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, 2005
23- जाटव, डी०आर०, राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ० आम्बेडकर की भूमिका, जयपुर–1989
24- अम्बेडकर महेश, द आर्किटेक्ट आफ मार्डन इण्डियाः डा0 भीमराव अम्बेडकर", डायमण्ड पाकेट बुक्स लिमिटेड, नयी दिल्ली 2016
25- मकवाना किशोर, "डा0 अम्बेडकर आयाम दर्शन", प्रभात प्रकाशन लिमिटेड, नयी दिल्ली, 2020